न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 16 / 2015

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	बनाम्	अशोक कुमार पुत्र नारायण जाति माली निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर (मैं. शिव आईसक्रिम रेल्वे स्टेशन के पास समदड़ी जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. श्री जितेन्द्र दवे एडवोकेट विप्रार्थी की ओर से

निर्णय **दिनांक 12.11.2016**

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.5.2015 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने निरीक्षण जरिये सरकारी वाहन से मैसर्स शिव आईसक्रिम रेल्वे स्टेशन के पास समदड़ी प्रातः 11.00 बजे पहुॅचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम अशोक कुमार पुत्र नारायण जाति माली निवासी समदड़ी फर्म का मालिक होना बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स शिव आईसक्रिम रेल्वे स्टेशन के पास समदड़ी का निरीक्षण करने पर दुकान में कुल्फी (दूध व शक्कर से निर्मित) के 50–50 ग्राम के लगभग 200 पीस पाये गए, जो आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। निरीक्षण के दौरान् कुल्फी में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त 200 पीस में से 50–50 ग्राम के 28 पीस खरीदे,

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 180/– रूपये नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। उक्त 28 पीस को खोलकर एक स्टील की भगोनी, जो दुकान में रखी हुई थी, में डाला तथा हिला–हिलाकर एकरूप कर उसे चार कॉच की शीशीयां में बराबर–बराबर मात्रा में भरा प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.525 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किया, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–525 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि कुल्फी का नमूना पी–525 की जॉच रिपोर्ट एलएस/358/एक्ट/2015/357 दिनांक 01.06.2015 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करने पर नमूना पी–525 निर्धारित

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने से अवमानक स्तर का पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ कुल्फी का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.525 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र दवे अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा कुल्फी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त परिवाद का निरस्तारण करवाना चाहता है।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 16.05.2015 को निरीक्षण के दौरान् मैसर्स शिव आईसक्रीम रेल्वे स्टेशन के पास समदड़ी की दुकान में कुल्फी आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी। कुल्फी का नमूना जांच के दौरान् अवमानक स्तर का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार कुल्फी का नमूना पी. 525 अवमानक स्तर का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अशोक कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

के तहत अवमानक पाई गई कुल्फी बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहतं अप्रार्थी अशोक कुमार पर 5000/– अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.11.2016 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर